रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 2014/आश्विन 28, 1936
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2014/ASVINA 28, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2014

सं. 30/2014-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 736 (अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध में शर्त संख्या 100, खंड (ख) में, "छह माह के अंदर" शब्दों के स्थान पर, "बारह माह के अंदर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. बी-354/125/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 29/2014 सीमा शुल्क, तरीख 25 सितम्बर, 2014 सा.का.नि. 692(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2014 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2014

No. 30/2014-Customs

G.S.R. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),vide number G.S.R.185 (E), dated the 17th March, 2012, namely:—

In the said notification, in the ANNEXURE, in condition number 100, in clause (b), for the words "within a period of six months" the words "within a period of twelve months" shall be substituted.

[F. No. 354/125/2014-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and last amended vide notification No. 29/2014-Customs, dated the 25th September, 2014, published *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 25th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.